

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार RAS
राजस्व मूल वाद संख्या :- 86/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none"> गिरधारीराम पुत्र श्री बाबुरामजी, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर झमकू पत्नि कृपाराम, जाति जीनगर निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 		<ol style="list-style-type: none"> अमराराम पुत्र कानाराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर अमराराम पुत्र लादूराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ताराराम पुत्र बीजाराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर भैराराम पुत्र लादूराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर मेघाराम पुत्र लादूराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा, पोस्ट सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर मिनकीदेवी पुत्री खेराराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । नरेन्द्र सागर पुत्र राजेन्द्रकुमार, जाति सरगरा, निवासी ग्रामसतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । सुरेश पुत्र चेतनराम, जाति सरगरा, निवासी कृष्णा खेड़ा, सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी ।

वाद वास्ते बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

- वादीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा ।
- प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से हनुमान प्रजापति ।
- प्रतिवादी संख्या 02 से 08 की ओर से उम्मेदसिंह गहलोत

दिनांक :- 27-1-2026

:- निर्णय :-

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद (86/2022) बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ की सहखातेदारी की कृषि भूमियां वाके ग्राम सतलाना, तहसील लूणी में खसरा संख्या 614/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 630/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 631/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 632/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 633 रकबा 15.5885 हैक्टेयर, खसरा संख्या

634 रकबा 5.7222 हैक्टेयर आई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार उक्त विवादग्रस्त खसरा की कृषि भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.06.2025 को जारी किया गया एव तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक भू.अ./2025/4161 दिनांक 06.01.2026 को पेश किया गया। वादीगण का भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज (जमाबंदी दिनांक 07.07.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 06.01.2026 मय मौका फर्द दिनांक 04.07.2025 को की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्ननुसार है -

क स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान	संकेत नक्शा
1.	अमराराम पुत्र लादूराम, हिस्सा 1/3 मेघाराम पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 भैराराम पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	633	3.9994	चाही तृ.	24.99	A
		633	1.2270	चाही तृ.	7.66	B
		630/1	0.1479	चाही तृ.	0.92	C
		614/1	0.0081	गे.मु. खड़ा	-	
		04	5.3824		33.57	
2.	अमराराम पुत्र कानाराम, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती माधोपुरा	633	1.3457	चाही तृ.	8.41	D
		634	0.4768	चाही तृ.	2.98	E
		02	1.8225		11.39	
3.	मिनकी देवी पुत्री खेराराम हिस्सा 1/2 ताराराम पुत्र बीजाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	633	2.1016	चाही तृ.	12.70	O
		633	0.5557	चाही तृ.	3.47	H
		630/1	0.0095	चाही तृ.	0.05	J
		631/1	0.0243	गे.मु. बेरा	-	I
		04	2.6911		16.22	
4.	गिरधारीराम पुत्र बाबुराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	633	5.3014	चाही तृ.	32.5	G
		634	0.8103	चाही तृ.	5.06	F
		632/1	0.0809	चाही तृ.	0.50	N
		03	6.1926		38.06	
5.	झमकू पत्नि कृपाराम हिस्सा पूर्ण जाति जीनगर सा. देह खातेदार	633	1.0577	चाही तृ.	6.61	K
		630/1	0.2878	चाही तृ.	1.78	L
		02	1.3455		8.39	
6.	झमकू पत्नि कृपाराम हिस्सा 7001/19727 जाति जीनगर सा.देह खातेदार नरेन्द्र सागर पुत्र राजेन्द्र कुमार हिस्सा 8484/19727 जाति सरगरा सा. देह खातेदार सुरेश पुत्र चेतनराम हिस्सा 4242/19727 जाति सरगरा सा. कृष्णा खेड़ा खातेदार।	634	4.4351	चाही तृ.	27.32	M

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण संयुक्त खातेदार होने के कारण वादीगण व

प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 04.07.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 04.07.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हंसमुख कुमार RAS)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी